

20.20/00617

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छवड़ा जिला बारा (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
93/19	251A RTA	बारा	बारा
वादी A 93/2019	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
रमेश - दंड	बनाम	रामराम	

वकील :- अमोल कुरिया


आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------


21/10/19

उपरोक्त प्रार्थना द्वारा वाद पत्र अंतर्गत बारा 251A विरुद्ध अप्रार्थी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट करिस्ता का आवेदन कि या प्रमाण दर्ज करिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थी गण को पारिये समान बलक बर पत्रिवाली दिनांक 11/11/019 को पेश हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
छवड़ा जिला-बारा


11/11/19

अज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21.2.20 को पेश हो।

  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छवड़ा (बारा)


3/2/20

अज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 26/2/20 को पेश हो।

  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छवड़ा (बारा)

25/2/20

अज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 31/3/20 को पेश हो।

  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छवड़ा (बारा)



दिनांक कार्यवाही एवं आदेश

16/3/21 पत्रोपली पेश हुई। कुलकर्णी करीब 3 फरवरी तक उपस्थित। तहसीलदार इका से रिपोर्ट आंगारत है। पुनः बार-बार लिखे जाने से -आंगारत का समय बर्बाद होता है। -आंगारत में एक बार कोर लिखी जाने आज ही फरवरी इका को तलब करें। वरते रिपोर्ट पत्रोपली दिनांक 16/3/21 को पेश हो।

01/9/21 पत्रोपली covid-19 के कारण पूर्ववत् स्थिति में पेश हुई। कुलकर्णी करीब 3 फरवरी तक उपस्थित। ककील प्रतिवादी की कोर से जवाब पेश किया गया जिसकी नकल ककील माफी को दी गई। प्रतिवादी की कोर से श्री अखिलेश कुमार शर्मा एडवो. का कबालत गोपा पेश हुआ जो शांति किया गया। तहसीलदार इका से भी वस्तु स्थिति की रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेड के रिपोर्ट प्राप्त करें। वरते रिपोर्ट तदर पत्रोपली दिनांक 01/09/21 को पेश हो।

उपसंह अधिकारी  
छबडा, जिला बारां (राज0)

**प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021**

11/10/21 पत्रोपली आज प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 के मध्य वार्ड पर पेश हुई। तहसीलदार इका से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, फरवरी व JLR द्वारा सांख्यिक रिपोर्ट आनुसार प्रकरण दाया 25।A RTA के तहत गोके पर जाकर निरीक्षण कर आकारत कराओ कि ग्राम वार्ड के एका सं. 58, 59, 64 के लिए ख.न.25 जो आत्म खतेदार की भूमि है जिसमें से प्राणी द्वारा रास्ता बनाया जा रहा है जबकि प्राणी की भूमि ख. नं 58, 59 व 64 पर जाने के लिए पूर्व से ही रास्ता रिमाई में रास्ता दर्ज रिमाई है जिसका उपयोग प्राणी द्वारा पूर्व से ही उपयोग किया जा

उपसंह अधिकारी  
छबडा, जिला बारां (राज0)

क्र. सं.

क्र. सं.

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

जा रहा है प्राणी अपनी भूमि पर Short में ही जाने के लिए रास्ता - जा रहा है जो ख. न. 25 है और ख. न. 25 अन्य दूसरे माशतकार का है। 34 त रचित भूमि में से - चाहा जो रहा रास्ता दिया जाता उचित प्रतीत नहीं होता है एही स्थिति में रास्ता रास्ता नहीं दिये जाने की अनुमति की जाती है

तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अज्ञात बताया है कि प्राणी द्वारा ख. न. 58, 59 व 64 के लिखवास्ता पूर्व से ही राजस्व रिमाई में दर्ज है परन्तु प्राणी ख. न. 25 के रखतेदार को परेशान करने की गरज से रास्ता - चाहा गया है।

मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण द्वारा 251A आधार हीन होने से रकारिज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्राणी द्वारा प्रस्तुत बरफो अवशीत द्वारा 251A RTA आधार हीन / चलने योग्य नहीं होने से रकारिज किया जाता है। नि पत्रावली दिशाल शुभार होकर दारिकल दफतर हो।

उपस्रण्ड अधिकारी  
उम्दा, जिला बारां (राज०)